# सार्वजनिक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पत्रांक संख्या–3721/UHC/Admin-B/1xi-d/2004 दिनांकित 21 अगस्त, 2017 के माध्यम से परिवार न्यायालय अल्मोड़ा में परामर्शदाता (काउन्सलर) की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नियम–26 {धारा–6(1) और धारा–23(1)} उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड कुटुम्ब न्यायालय नियमावली, 1995 के अनुसार अर्ह व्यक्ति "नाम, पिता का नाम, वर्तमान व स्थायी पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, विद्वान अधिवक्ता की स्थिति में बार काउन्सिल में नामांकन संख्या, अनुभव, पारिवारिक काउन्सलिंग का अनुभव होना तथा सामाजिक कार्य में डिग्री की विशेष योग्यता होने की स्थिति में इस विशेष योग्यता व अनुभव आदि" का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज दिनांक 15.09.2017 तक कुटुम्ब न्यायालय अल्मोड़ा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त पद हेतु प्रार्थी बाल कल्याण में वृत्तिक रूप से अर्ह विशेषज्ञों अधिमानतः जो सामाजिक विज्ञान या सामाजिक कार्यों की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत हों अथवा ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कुटुम्ब परामर्श में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखते हों, को परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति दिये जाने हेतु अधिमान्यता दी जाएगी।

अतः उक्त पद हेतु वांछित अभ्यर्थी उपरोक्त अर्हता होने पर ही अपने पूर्व विवरण एवं संलग्नकों सहित प्रार्थना–पत्र मेरे कार्यालय में दिनांक 15 सितम्बर, 2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड एवं सभी सम्बन्धित को प्रेषित की जाय।

28.8.17

दिनांक:: 28–08–2017

(नीलम रात्रा)
न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, अल्मोड़ा।